दी मेवाड़ शुगर मिल्स V/S श्रीमती शीला के बजाय [illegible] वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	वाद 114/2013 (2013/00586)
23/9/2021 2013/00586	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। हमने अधिवक्ता उभय पक्ष की, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 ज़ा.दी. पर पुनः बहस सुनी। हमने पत्रावली का अध्ययन कर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर गहनता से मनन किया। वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 92ए के तहत विरुद्ध प्रतिवादी स्थायी निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया गया प्रतिवादी की ओर से वाद पत्र का जवाब प्रस्तुत कर साथ मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 ज़ा.दी. प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र का [illegible]। वादी द्वारा जवाब प्रस्तुत नही करने से जवाब का अधिकार बन्द किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम छेंती की आराजी खसरा 1752 रकबा 0.34 हे. प्रार्थीया/प्रतिवादी को आवंटन शुदा होकर प्रार्थीया की खातेदारी मे दर्ज है। [illegible] वादी खातेदार नही है एवं न ही वादी का कोई कब्जा है। वादी सद्भावी काश्तकार नही होने से वादी को पूर्व मे हुआ आवंटन जिला कलक्टर महोदय द्वारा निरस्त कर देने से ना.सं. 687 दिनांक 30/11/1976 से बिलानाम सिवाय चक दर्ज हुई। उक्त आराजी बिलानाम से प्रार्थीया/प्रतिवादी को आवंटित हुई एवं [illegible] प्रतिवादीया खातेदार [illegible] वादी को खातेदार के [illegible] का कोई अधिकार नही [illegible] धारा 92 ए आर.टी.ए. के तहत प्रस्तुत वाद ---लगातार

(श्याम सुन्दर विश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sunda
Bishnoi
Date: 2021.12.02 10:25:08 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
वाद 114/2013 (2013/00586)	

पत्र बाद बाय लॉ होकर निरस्त योग्य है तथा वादी द्वारा बिना कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है जो अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थी / प्रतिवादी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र निरस्त किए जाने का आदेश फरमाया जावे।

अधिवक्ता विपक्षी / वादी ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कब्जा विपक्षी / वादी का होना एवं मौके पर काँटा (वेब्रीज) लगा हुआ बताकर निवेदन किया गया कि प्रार्थिया / प्रतिवादी का मौके पर कभी कब्जा नही रहा, किन्तु रेकार्ड के आधार पर प्रार्थिया प्रतिवादी - विपक्षी / वादी के काँटा (वेब्रीज) को हटाकर बेदखल करना चाहती है, जिससे वादी द्वारा धारा 92 ए आर.टी.ए. के तहत स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली मे प्रस्तुत ग्राम सेंती के ना.सं. 2385 अनुसार ख.नं. 1752 रकबा 0.34 हे० प्रार्थिया / प्रतिवादी के नाम खातेदारी से दर्ज है। प्रस्तुत प्रकरण मे वादी खातेदार नही है, वादी का कथन मात्र कब्जा बाबत् है। स्थायी निषेधाज्ञा का वाद केवल खातेदार ही ला सकता है। खातेदार के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पत्र लाने का अधिकार किसी को नही है, ऐसी स्थिति मे वादी को खातेदार प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पत्र [illegible] का कोई अधिकार विधि द्वारा प्रदत्त नही है। विधि द्वारा ऐसा वाद पत्र वर्जित [illegible] खारिज योग्य पाया जाता है। अतः [illegible] का प्रा०पत्र आदेश 07 नियम 11 जा. [illegible] किया जाकर वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा

....लगातार

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2021.12.02 10:25:08 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	वाद 114/2013 (2013/00586)
	92ए आर.टी.ए. बाबत ग्राम सेंती तहसील चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 1752 रकबा 0.34 हे. खारीज किया जाता है।
	निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया। निर्णयानुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
	(श्याम सुन्दर बिश्नोई) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2021.12.02 10:25:08 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 2 नियम 6,7 जा.दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ बईजलास
श्री **श्याम सुन्दर बिश्नोई** उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ

1. दी मेवाड शुगर मिल्स लिमिटेड ,भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़ जरिये पावर आफ अर्टानी होल्डर एम.एल.मेनारिया पुत्र श्री लालजी मेनारिया नि.चोकडी तह.कपासन

वादी

बनाम

श्रीमती शीला पंचोली पत्नी श्री कृष्णचन्द्र पंचोली नि. 3 ए कुम्भानगर चित्तौड़गढ़ मृतक के बजाय –

1.हर्षवर्धन आत्मज स्व.श्री पंकज पंचोली नि. 3 ए कुम्भानगर, चित्तौड़गढ़
2.रंजना पुत्री स्व. श्री पंकज पंचोली पत्नी भारत भुषण व्यास नि. 3 ए कुम्भानगर, चित्तौड़गढ़
3.अर्चना पुत्री स्व. श्री पंकज पंचोली पत्नी बालुमकन्दजी अतर वाला नि. 3 ए कुम्भानगर , चित्तौड़गढ़
4.रमा पुत्री स्व. श्री पंकज पंचोली पत्नी अशोक शर्मा 3 ए कुम्भानगर चित्तौड़गढ़
5.अर्पिता (सिद्धीका) पुत्री स्व.श्री पंकज पंचोली नि. 3 ए कुम्भानगर , चित्तौड़गढ़
6.कविता पुत्री स्व.श्री पंकज पंचोली पत्नी हेमन्त शर्मा नि. 3 ए कुम्भानगर , चित्तौड़गढ़

प्रतिवादीगण

प्र.सं. 114/2013 (GCMS 2013/00586)
वादपत्र अर्न्तगत धारा 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी की ओर से वकील श्री सत्यनारायण ईनाणी की, और प्रतिवादी की ओर से वकील श्री छोगालाल जाट की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और आदेश डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी का प्रा.पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पत्र अर्न्तगत धारा 92 ए आर.टी.ए. बाबत् ग्राम सेंती तहसील चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 1752 रकबा 0.34 हे. खारीज किया जाता है।

इस वाद के खर्च – प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित वादी को दी जावे। यह आज दिनांक 23.09.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और मोहर अदालत से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2021.12.02 10:25:08 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)